



संख्या-60/2025/1780/पन्चानबे-2025-08प्रकीर्ण/2012

प्रेषक,

राजेश कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगाइर्स, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

होमगाइर्स अनुभाग

लखनऊ: दिनांक 03-11-2025

विषय- होमगाइर्स स्वयंसेवकों के एनरोलमेंट के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-763/होस्वो-509/2024, दिनांक 24.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा होमगाइर्स स्वयंसेवकों की रिक्रियों को भरे जाने के संबंध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त होमगाइर्स स्वयंसेवकों को एनरोल किये जाने के संबंध में पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए एतद्वारा उत्तर प्रदेश राज्य होमगाइर्स एनरोलमेंट मार्गदर्शिका निम्नवत निर्धारित की जाती है:-

"उत्तर प्रदेश राज्य होमगाइर्स एनरोलमेंट मार्गदर्शिका"

1- प्रदेश के समस्त जनपदों के होम गाइर्स के रिक्त पदों पर निष्पक्ष एवं पारदर्शी एनरोलमेंट की कार्यवाही "उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड" द्वारा की जायेगी।

भाग-1

2- एनरोलमेंट हेतु रिक्रियों की अवधारणा

होमगाइर्स स्वयंसेवकों का एनरोलमेंट उनके निवास के जनपदों में उत्पन्न रिक्रियों के सापेक्ष होमगाइर्स विभाग द्वारा प्रेषित अध्याचन के अनुसार किया जायेगा।

"एनरोलमेंट का वर्ष" का तात्पर्य किसी कैलेंडर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली 12 मास की अवधि से है। "एनरोलमेंट के वर्ष" की 01 जुलाई को जनपदीय इकाईयों में विद्यमान रिक्रियों की अवधारणा की जायेगी। जनपदवार रिक्रियों की अवधारणा जिला कमाण्डेंट द्वारा की जायेगी।

जिला कमाण्डेंट होमगाइर्स, वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्रियों की संख्या और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्रियों की संख्या अवधारित करते हुए उसकी सूचना कमाण्डेंट जनरल, होमगाइर्स को उपलब्ध करायेंगे। रिक्रियों को अवधारित करते समय पुरुष तथा महिला के लिए रिक्रियों की अलग-अलग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, जिन पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://sh.janpradesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या स्पष्ट की जायेगी। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये आरक्षण की गणना उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार की जायेगी।

होमगार्ड्स एनरोलमेन्ट के संबंध में महासमादेष्टा, होमगार्ड्स द्वारा जनपदवार रिक्तियों की सूचना आरक्षण की गणना के बाद संकलित कर निर्धारित प्रारूप में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को उपलब्ध कराया जायेगा।

रिक्तियों की अवधारणा के पश्चात अपेक्षित/निर्धारित अर्हताओं सहित होमगार्ड्स के एनरोलमेन्ट हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जनपदवार रिक्तियों पर एनरोलमेन्ट हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे।

3- पात्रता

(क) शारीरिक व मानसिक दोष से युक्त तथा दिव्यांग व्यक्ति होमगार्ड्स के पदों पर एनरोलमेन्ट के लिये पात्र नहीं होंगे।

(ख) होमगार्ड्स के पदों पर एनरोलमेन्ट के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी उस जनपद का मूल निवासी हो, जिस जनपद की रिक्ति के सापेक्ष आवेदन किया गया हो।

(ग) सार्वजनिक/शासकीय/अर्द्धशासकीय अथवा सार्वजनिक उपक्रम की सेवाओं में नियमित रूप से कार्यरत व्यक्ति होमगार्ड्स के पद पर एनरोलमेन्ट हेतु पात्र नहीं होंगे।

(घ) संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति भी होमगार्ड्स के पद पर एनरोलमेन्ट के लिये पात्र नहीं होंगे।

(च) किसी न्यायालय में कोई आपराधिक मुकदमा विचाराधीन होने की स्थिति में, अभ्यर्थी होमगार्ड्स के पद पर एनरोलमेन्ट के लिये पात्र नहीं होंगे।

(छ) होमगार्ड्स के पद पर एनरोलमेन्ट के लिये ऐसा पुरुष/महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा/होगी जिसकी एक से अधिक पत्नियां/पति जीवित हों।

4- इयूटी भत्ता

होमगार्ड्स को काम के लिये बुलाये जाने पर शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित इयूटी भत्ता दिया जायेगा।

5- आरक्षण

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये लम्बवत आरक्षण और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, भूतपूर्व सैनिकों एवं महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण, एनरोलमेन्ट के समय प्रवृत्त उत्तर प्रदेश सरकार के आरक्षण प्राविधानों/आदेशों के अनुसार अनुमन्य होगा। विभिन्न श्रेणियों के लिए पदों के आरक्षण की गणना जनपद स्तर पर उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष की जायेगी तथा गणना में दशमलव के बाद के अंकों को छोड़ दिया जायेगा, केवल पूर्ण अंकों को ही संज्ञान में लिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanaadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

6- शैक्षिक योग्यता का निर्धारण

(क) होमगाइर्स स्वयंसेवकों के एनरोलमेंट हेतु अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी अनिवार्य है। माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा हाईस्कूल के समकक्ष मान्यता प्राप्त विभिन्न परीक्षा संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाओं को इस निमित्त हाईस्कूल के समकक्ष स्वीकार किया जायेगा।

(ख) आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी होगी तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 10 वीं कक्षा की परीक्षा में सम्मिलित हुए अथवा सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे।

7- अधिमानी अर्हतायें

7(1) अभ्यर्थियों को अधिमान (Preference) के अन्तर्गत निम्नानुसार अतिरिक्त अंक (यदि किसी अभ्यर्थी के पास एक से अधिक अधिमानी अर्हतायें हैं, तो उसे सबसे अधिक अंक वाली अधिमानी अर्हता हेतु निर्धारित अंक दिये जायेंगे) दिया जायेगा:-

1- एन०सी०सी० प्रमाण पत्र धारक	
"सी" प्रमाण पत्र धारक	03 अंक
"बी" प्रमाण पत्र धारक	02 अंक
"ए" प्रमाण पत्र धारक	01 अंक
2- भारत स्काउट एण्ड गाइड प्रमाण पत्र धारक	01 अंक

7(2) यू०पी०एस०डी०एम०ए० के तत्वाधान में आयोजित "आपदा मित्र प्रशिक्षण" प्रमाण-पत्र धारकों को उपरोक्त बिन्दु संख्या-07(1) में अंकित अधिमानी अर्हताओं में दिये गये अंकों के साथ-साथ 03 अंक पृथक से प्रदान किये जायेंगे।

7(3) अभ्यर्थी द्वारा चार पहिया वाहनों के वैध ड्राइविंग लाइसेन्स धारक होने की स्थिति में अधिमानी अर्हता में दिये गये अंकों के साथ-साथ 01 अंक पृथक से प्रदान किया जायेगा।

8- आयु सीमा

अभ्यर्थी की आयु कम से कम 18 वर्ष एवं अधिक से अधिक 30 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना "एनरोलमेंट के वर्ष" की 01 जुलाई को अभ्यर्थी की आयु के आधार पर की जायेगी।

अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों (केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों) के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट एतदर्थ शासन द्वारा प्रवर्त नियमों/शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अनुसार अनुमन्य होगी। आयु के प्रमाण पत्र के रूप में हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा के अंक पत्र/प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

भूतपूर्व सैनिकों की आयु, सेना में की गयी सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु से घटाने पर, निर्धारित आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक नहीं होगी। भूतपूर्व सैनिक (उ0प्र0 लोक सेवा शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अधिनियम, 1993 के अन्तर्गत यथा परिभाषित) श्रेणी के अन्तर्गत आरक्षण के लाभ को प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक है कि उसने आवेदन करने की अंतिम तिथि तक भूतपूर्व सैनिक का दर्जा पहले ही प्राप्त कर लिया हो।

अधिकतम आयु सीमा में ऐसे अभ्यर्थियों, जिन्हें विभिन्न श्रेणियों में आने के कारण आयु सीमा में छूट की पात्रता है, उन्हें केवल उसी श्रेणी के आधार पर आयु सीमा में छूट दी जायेगी, जिसमें उन्हें आयु सीमा में अधिकतम छूट की अनुमन्यता है।

09- आवेदन शुल्क

होमगार्ड्स स्वयंसेवक के एनरोलमेन्ट हेतु अभ्यर्थियों से लिए जाने वाले आवेदन शुल्क का निर्धारण कमाण्डेन्ट जनरल होमगार्ड्स से विचार-विमर्श करने के पश्चात "उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड" द्वारा किया जायेगा।

भाग-2

10- आवेदन पत्र

आवेदन पत्र की प्रकृति, स्वरूप तथा उसमें निहित शर्तों का निर्धारण "उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड" द्वारा किया जायेगा।

11- परीक्षा

अभ्यर्थियों की परीक्षा में निम्न चरण होंगे:-

(a)- लिखित परीक्षा

ऐसे अभ्यर्थियों, जिनके आवेदन पत्र सही पाये जायेंगे, उनसे लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न रखे जायेंगे। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसकी समयावधि 02 घण्टे की होगी। लिखित परीक्षा एक विषय सामान्य ज्ञान की होगी। परीक्षा का पाठ्यक्रम तथा परीक्षा की प्रक्रिया का विनिश्चय "उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड" द्वारा किया जायेगा।

(b) औपबन्धिक श्रेष्ठता सूची

अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों तथा प्रस्तर-7 में अंकित अधिमानी अर्हताओं के आधार पर प्राप्त अंकों को जोड़ने के उपरान्त सभी अभ्यर्थियों की जिलावार सूची श्रेष्ठता क्रम में तैयार की जाएगी। जनपद में उपलब्ध रिक्तियों के दृष्टिगत तथा आरक्षण के विभिन्न प्रावधानों के आलोक में पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थियों को अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा के लिए "उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड" द्वारा आहूत किया जाएगा। अभ्यर्थियों की संख्या का विनिश्चय "उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड" द्वारा जनपद में उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanaदेश.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(c)- अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण

लिखित परीक्षा एवं अधिमानी अर्हता के अंकों के आधार पर औपबधिक श्रेष्ठता सूची में सम्मिलित किये गये अभ्यर्थियों को अभिलेखों की परीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सम्मिलित किया जायेगा। अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण के स्थल एवं समय का निर्धारण "उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड" द्वारा किया जायेगा, जिसे यथा समय वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के सूचनार्थ प्रदर्शित किया जायेगा।

अभ्यर्थियों की अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण के लिए निम्नानुसार जनपदों में बोर्ड गठित किया जाएगा।

- | | |
|--|----------|
| I. जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित कोई डिप्टी कलेक्टर | -अध्यक्ष |
| II. जिला पुलिस प्रभारी द्वारा नामित कोई पुलिस उपाधीक्षक | -सदस्य |
| III. जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नामित कोई राजपत्रित अधिकारी | -सदस्य |
| IV. मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा नामित कोई चिकित्साधिकारी | -सदस्य |

अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण की विस्तृत प्रक्रिया का अवधारण बोर्ड द्वारा किया जाएगा। अभिलेखों की संवीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों का मिलान किया जाएगा तथा अधिमानी अर्हता से संबंधित प्रमाण पत्रों की पुष्टि न होने पर इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख अभ्यर्थियों की पत्रावली में किया जाएगा तथा अधिमानी अर्हता के अंकों को अभ्यर्थी के अंकों से "उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड" द्वारा घटा दिया जाएगा।

शारीरिक मानक:-

पुरुष अभ्यर्थी		
मानक	सामान्य अभ्यर्थी/ अनुसूचित जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी
ऊँचाई	न्यूनतम 168 सेमी०	न्यूनतम 160 सेमी०
सीना बिना फुलाये	न्यूनतम 79 सेमी०	न्यूनतम 77 सेमी०
सीना फुलाने पर	न्यूनतम 84 सेमी०	न्यूनतम 82 सेमी०
महिला अभ्यर्थी		
ऊँचाई	न्यूनतम 152 सेमी०	न्यूनतम 147 सेमी०
वजन	न्यूनतम 40 कि०ग्रा०	न्यूनतम 40 कि०ग्रा०

शारीरिक मानक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के नामों को "उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड" द्वारा यथा समय वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

(d)- शारीरिक दक्षता परीक्षा

शारीरिक मानक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा, जो अर्हकारी प्रकृति की होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा के कोई

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

अंक नहीं दिये जायेंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षण के स्थल एवं समय का निर्धारण "उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड" द्वारा किया जायेगा और उसे यथा समय बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा। इस परीक्षा को संचालित किये जाने हेतु "उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड" द्वारा आवश्यकतानुसार समितियों का गठन किया जायेगा।

शारीरिक दक्षता परीक्षा में अर्ह होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों हेतु 4.8 कि०मी० की दौड़ 28 मिनट में तथा महिला अभ्यर्थियों हेतु 2.4 कि०मी० की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी।

जो अभ्यर्थी निर्धारित समय में दौड़ पूरी नहीं करते हैं, वह एनरोलमेन्ट के लिए पात्र नहीं होंगे तथा उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से बाहर हो जायेंगे।

12- एनरोलमेन्ट हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची

(A) लिखित परीक्षा के प्राप्तियों में अधिमानी अर्हताओं एवं यू०पी०एस०डी०एम०ए० द्वारा आयोजित आपदा मित्र प्रशिक्षण/वाहन चालन से संबंधित प्रमाण पत्र धारकों को अनुमन्य अंकों को जोड़ते हुए श्रेष्ठता क्रम में श्रेणीवार/आरक्षणवार प्रत्येक जनपद के अभ्यर्थियों की पृथक-पृथक चयन सूची जनपदवार तैयार की जायेगी। दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान होने पर क्रम का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा:-

(i) दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान होने पर अधिक आयु के अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी।

(ii) यदि उपर्युक्त विचारण के बाद भी दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हों, तो अभ्यर्थी की अधिमानता का अवधारण हाईस्कूल प्रमाण पत्र में उल्लिखित उनके नामों के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार किया जायेगा।

(B)- प्रतीक्षा सूची

होमगाइर्स एनरोलमेन्ट हेतु कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जायेगी।

13- उपरोक्तानुसार जिलावार एनरोलमेन्ट सूची तैयार करने के बाद उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा एनरोलमेन्ट हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची कमाण्डेंट जनरल होमगाइर्स को प्रेषित की जाएगी।

भाग -3

एनरोलमेन्ट हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होने के उपरान्त स्वास्थ्य परीक्षण तथा चरित्र सत्यापन की कार्यवाही कमाण्डेंट जनरल होमगाइर्स द्वारा केन्द्रीय रूप से अथवा जिला कमाण्डेंट होमगाइर्स के माध्यम से संपन्न करायी जाएगी तथा उसके उपरान्त ही सक्षम स्तर से एनरोलमेन्ट की कार्यवाही की जाएगी।

14- स्वास्थ्य परीक्षण

अंतिम रूप से एनरोलमेन्ट हेतु उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों का जिला कमाण्डेंट होमगाइर्स द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा। किसी अभ्यर्थी को होमगाइर्स स्वयंसेवक के पद पर तब तक एनरोल नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो।

नोट- चिकित्सा बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जायेगा, जिसमें नाक-नी, बो-लेग्स, फ्लैट-फीट, वेरीकोस वेंस, दूर एवं निकट दृष्टि, कलर ब्लाइंडनेस (पूर्ण एवं अंशकालिक), श्रवण परीक्षण जिसमें रिनेज परीक्षण, बेबर्स परीक्षण और वर्टिगो परीक्षण, वाक दोष आदि समाविष्ट होंगे, तथा ऐसी अन्य कमियाँ, जैसा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जायेगा, का भी परीक्षण किया जायेगा।

15- चरित्र सत्यापन

अन्तिम रूप से एनरोलमेन्ट हेतु उपयुक्त एवं चिकित्सीय परीक्षण में उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों का जिला कमाण्डेन्ट होमगाइर्स द्वारा पुलिस सत्यापन कराया जायेगा। पुलिस सत्यापन में उपयुक्त पाये जाने की स्थिति में एनरोलमेन्ट हेतु अभ्यर्थी को जिला कमाण्डेन्ट होमगाइर्स के स्तर से एनरोल किया जायेगा। पुलिस सत्यापन में उपयुक्त न पाये जाने की स्थिति में उसे एनरोल नहीं किया जायेगा।”

3- कृपया उपर्युक्त उत्तर प्रदेश राज्य होमगाइर्स एनरोलमेन्ट मार्गदर्शिका में उल्लिखित व्यवस्थाओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
राजेश कुमार सिंह
प्रमुख सचिव।

संख्या-60/2025/1780(1)/पन्चानबे-2025, तद्विनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- (1) अध्यक्ष, 30प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ।
- (2) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (3) समस्त पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- (4) समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- (5) समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (6) समस्त उपमहासमादेष्टा, होमगाइर्स, उत्तर प्रदेश।
- (7) समस्त मण्डलीय कमाण्डेन्ट, होमगाइर्स, उत्तर प्रदेश।
- (8) समस्त जिला कमाण्डेन्ट, होमगाइर्स, उत्तर प्रदेश।
- (9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
जय सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanaadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।